संख्या– 2281 /XV-2/1(14)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक। 2 नवम्बर, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (सामान्य) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1148/लेखा प्रस्ताव आयो0 सामान्य पत्रा0/2010–11, दिनांक 29–07–2010 एवं पत्र संख्या–1284–86/लेखा मा0मु0मंत्री घो0 पत्रा0/2009–10, दिनांक 23–08–2010, के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30–03–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विकास योजना (सामान्य) अन्तर्गत सिविल कार्य हेतु ₹ 119.00 लाख, प्रबंधकीय अनुदान मद हेतु ₹ 28.93 लाख एवं यातायात मद हेतु ₹ 103.90 लाख अर्थात कुल ₹ 251.83 (रू0 दो करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, नई टिहरी में प्रशासनिक भवन हेतु ₹ 33.47 लाख एवं स्टाफ क्वाटर्स हेतु ₹ 289.38 लाख के संलग्न आगणन अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाये तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्यता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर सम्बन्धित जनपदीय दुग्ध संघों को उपलब्ध कराया जाय।
6. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाये तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय तो योजना में स्वीकृत नहीं है।

7. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31–03–2011 तक उपयोग कर प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाये।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
9. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनाये–03–डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–160 (P) /वित्त–4/2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–2281 /XV-2/1(14)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. अपर सचिव–मुख्यमंत्री, कार्यालय अनुभाग–04 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
7. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।